इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 13.03.2026

इटावा पुलिस द्वारा फौजी ढाबा पर लूट/मारपीट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से लूटे गये 16,000/- रुपये नगद, 01 क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, 01 कुल्हाड़ी, 07 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त कार महिन्द्रा स्कार्पियो बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व मे **थाना जसवंतनगर** पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.03.2026 को वादी राजीव कुमार पुत्र स्व० कामता प्रसाद निवासी ग्राम न० भिखन थाना जसवन्तनगर इटावा ने थाना जसवन्तनगर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.03.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे जब वह अपने फौजी ढाबा (आगरा-कानपुर हाईवे मलाजनी) पर मौजूद थे, उसी समय चार व्यक्ति ढाबे पर आये और खाना पैक करने को कहा। जब उनसे खाने का पैसा माँगा गया तो उन्होंने तलवार, फरसा व लोहे की रॉड निकालकर वादी व होटल कर्मचारियों पर हमला कर दिया तथा ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गद्दी से नगदी व एक मोबाइल फोन (वीवो) छीन लिया तथा वादी की लाइसेंसी रायफल व कारतूस छीनकर स्कार्पियो कार से भाग गये। पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर **मु0अ0सं0 57/26 धारा 109, 309(6) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 12/13.03.2026 की रात्रि को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कुरसैना पर चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि फौजी ढाबा पर मारपीट व लूट की घटना कारित करने वाले व्यक्ति स्कार्पियो गाड़ी के साथ जौनई फार्म के पास खड़े हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर **हाइवे किनारे जौनई फार्म के पास से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग पटना साहिब गुरुद्वारा से दर्शन कर वापस अपने घर लुधियाना जा रहे थे। रास्ते में इटावा के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। खाना व पैसे को लेकर ढाबा मालिक से विवाद हो गया, जिस पर गुस्से में आकर उन्होंने मारपीट की। इसी दौरान ढाबा मालिक की लाइसेंसी रायफल छीन ली, एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया तथा ढाबे की गोलक से लगभग ₹16,000 निकाल लिये। पहचान छुपाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। भागते समय उन्होंने रायफल से एक फायर किया तथा बाद में रायफल को हाइवे किनारे फेंक दिया, जिसकी बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना जसवन्तनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/26 धारा 109, 309(6) बीएनएस मे धारा 317(2),324(4) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी ।

घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार को धारा 207 एमवीएक्ट के तहत सीज किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. हरप्रीत सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह निवासी गली नं0 08, गोविन्द नगर शिमलापुरी थाना शिमलापुरी जनपद लुधियाना (पंजाब) **उम्र करीब 47 वर्ष।**
2. प्रीत सिंह पुत्र सुखवेन्द्र सिंह निवासी मढै की चक्की थाना शिमलापुरी जनपद लुधियाना (पंजाब) **उम्र करीब 25 वर्ष ।**
3. जगदीप सिंह पुत्र सरदार सेवक सिंह निवासी गली नं0 04 शिमलापुरी थाना शिमलापुरी जनपद लुधियाना (पंजाब) **उम्र करीब 38 वर्ष।**
4. हरजिंदर सिंह पुत्र सरदार संतराम सिंह निवासी इस्लामगंज कुष्ठ आश्रम थाना दो नंबर डिवीजन जनपद लुधियाना **उम्र करीब 50 वर्ष ।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 57/26 धारा 109, 309(6)/317(2)/324(4) बीएनएस थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. ₹ 16,000/- नगद
2. 01 क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का
3. 01 कुल्हाड़ी
4. 07 जिन्दा कारतूस .315 बोर
5. 01 कार महिन्द्रा स्कार्पियो नं0 **PB 11 AD 1019 (घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम :- थानाध्यक्ष श्री कमल भाटी थाना जसवंतनगर, उ0नि0 ललित किशोर चतुर्वेदी, उ0नि0 शुभम वर्मा, उ0नि0 मनीष कुमार, का0 अवनीश कुमार व का0 तरूण कुमार, चालक हे0का0 अरविन्द कुमार।